स्पीड पोस्ट/ईमेल

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवामें,

सचिव,
मा0 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून।

संख्या: 225/31–03 (2025–26) दिनांक 16 अक्टूबर, 2025

विषय :– मा0 आयोग को प्राप्त प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 आयोग के पत्र संख्या–424/उ.अ.आ./अल्पसंख्यक प्र.पत्र पत्रा/उत्तरकाशी/2025–26 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा श्री शुभम जैन पुत्र विनोद कुमार, निवासी वार्ड नं0–06, नगरपालिका बड़कोट उत्तरकाशी के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कर समस्या का समाधान कर आख्या–वस्तुस्थिति सहित नियत तिथि से पूर्व मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है, कि प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री शुभम जैन पुत्र विनोद कुमार, निवासी वार्ड नं0–06, नगरपालिका बड़कोट उत्तरकाशी के शिकायती पत्र के कम में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी बड़कोट से जांच आख्या प्राप्त की गई। उप जिलाधिकारी बड़कोट ने अपने कार्यालय पत्र संख्या–10/ना0ना0–पत्रा0/2025 दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी जांच आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

उप जिलाधिकारी, बड़कोट की जांच आख्यानुसार श्री शुभम जैन पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी नगर पालिका परिषद बड़कोट वार्ड नं0 02 का निवासी है, जिन्हे उत्तराखण्ड शासन अल्प संख्यक कल्याण अनुभाग संख्या–131/XVII-3/2016-07(29)/2015 दिनांक 24 फरवरी, 2016 की अधिसूचना के अनुसार उत्तराखण्ड के मूल निवासी गैर सुमदाय भी उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके अनुरूप प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.10.2025 को ऑनलाईन आवेदन किया गया है, प्रार्थी को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी बड़कोट से प्राप्त जांच आख्या की छायाप्रति अन्य मय संलग्नकों सहित संलग्न कर मा0 आयोग की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि, 05 वर्क।

भवदीय,
16.10.25
(देवानन्द)
प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

418
16/10/25

16/10/25